भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1679
13 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसल कटाई के बाद आवश्यक अवसंरचना की कमी को दूर करने हेतु योजनाएँ

1679. श्री नीरज शेखरः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास पूर्वी उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, शीतागार और परिवहन सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए कोई विशेष योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इन सुधारों के लिए अपेक्षित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है; और
(घ) कृषि उत्पादों की समय पर ढुलाई के लिए संभार-तंत्र संबंधी अवसंरचना को बेहतर बनाने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों के साथ सहयोग करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ): नाशवान खाद्य उत्पादों सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, के विकास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) तथा केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 2025-26 तक के लिए लागू है और वित्त आयोग के 15वें चक्र के लिए इसका कुल परिव्यय 6520 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.12.2025 तक, एमओएफपीआई ने उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 72 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों का निर्माण करना और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय खाद्य उत्पाद ब्रांडों को बढ़ावा देना है। यह योजना वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू है। दिनांक 31.12.2025 तक, एमओएफपीआई ने उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 26 स्थानों पर प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 2025-26 तक 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू है। दिनांक 31.12.2025 तक, उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 22060 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता के लिए स्वीकृत किया जा चुका है।

एमओएफपीआई अपनी तीन योजनाओं के माध्यम से संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र उद्यमियों को प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं, संग्रह केंद्रों, रेफ्रिजरेटर वैन आदि जैसे कृषि स्तरीय अवसंरचना के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बाज़ार तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन, मूल्यवर्धन आदि शामिल हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो, कृषि उपज की बर्बादी कम हो और प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि हो।

सड़क और रेल संपर्क से खेतों और संग्रहण केंद्रों से प्रसंस्करण इकाइयों और बाज़ारों तक पहुंच में सुधार होता है, जिससे नाशवान,वस्तुओं के खराब होने का खतरा कम होता है और वितरण दक्षता बढ़ती है।
